"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.''



(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक^{ॅं}199]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2011---ज्येष्ठ 26, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक 4175/5170/18/2010. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 37 तथा धारा 73 के सपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 70 तथा 110 सहपठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में. -

1.

नियम 5 के उप नियम (1) के खण्ड (एक) एवं (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''(एक) नगर पालिक निगम की स्थिति में -

			तालिका	•	
ज्ज.	प्राधिकारी	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		जनसंख्या	
			तीन लाख से अधिक	, तीन लाख से कम	
(1)	(2)		(3)	(4)	
I.	आयुक्त, नगर पोलिक निगम	ı	50 लाख रु. तक	25 लाख रु. तक	
2.	मेयर-इन-काउंसिल '	,	50 लाख रु. से अधिक किन्तु 1.50 करोड़ रु. से अनधिक.	25 लाख रु. अधिक किन्तु 1 करोड़ रु. से अनधिक.	
3.	निगम		1.50 करोड़ रु. से अधिक किन्तु 5 करोड़ रु. से अनधिक.	। करोड़ रु. से अधिक किन्तु 3 करोड़ रुपये से अनधिक.	

ţ,

(दो) नगर पोलिका परिषद् व नगर पंचायत की स्थिति में -

प्राधिकारी नगर पालिका परिषद् नगर पंचायत 无. जनसंख्या पंचास हजार जनसंख्या पंचास हजार या उससे अधिक से कम (1)(2)₄(3) (4)(5)मुख्य नगर पालिका अधिकारी 50,000/ - रु. तक 25,000/- रु. तक ालाख रु. तक ١. प्रेसिडेण्ट-इन-कांउसिल 1 लाख रु. से अधिक . 50,000/- रु. से अधिक 25,000/- रु. से अधिक 2. किन्तु 30 लाख रु. से अनधिक. किन्तु 15 लाख रु. से अनधिक. किन्तु 10 लाख रु. से अनधिक. परिषद् 30 लाख रुपये से अधिक किन्तु 15 लाख रु, से अधिक किन्तु 10 लाख रु. से अधिक किन्तु दो करोड़ रूपये से अनधिक. 1.25 करोड़ रु. से अनुधिक. 75 लाख रु. से अनधिक.

तालिका

(2) नियम 5 के उप -नियम (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित ठग-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

ः (2) 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम की स्थिति में 5 करोड़ रु. से अधिक के व्यय तथा 3 लाख रु. से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम की स्थिति में 3 करोड़ रु. से अधिक के व्यय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा :

. परन्तु, तथापि, आयुक्त, नगर पालिक निगम बिलासपुर का वित्तीय शक्तियाँ 50 लाख रु. तक <mark>होगी.</mark>

(3) 50.000 या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका की स्थिति में 2 करोड़ रु. से अधिक के व्यथ तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका की स्थिति में रु. 1.25 करोड़ से अधिक के व्यय तथा नगर पंचायत की स्थिति में रुपये 75 लाख से अधिक के व्यय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा."

🚯 नियम 5 के उप-नियम (4) एवं (5) का लोप किया जाये.

398(1)

4. नियम 5 के उप-नियम (5-ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

''(5-ख) लोक कार्य के लिये भवन सामग्री क्रय करने के लिये विहित प्रक्रिया का पालन किया जावेगा :-

- (क) विशिष्ट निर्माण तथा अन्य भवन कार्यों एवं भवन और अन्य सामग्रियों के क्रय के लिये पूर्वोत्तर कार्य/क्रय के अंतर्गत अनुमोदित दर नहीं अपनाई जावेगी तथा ऐसे कार्य/क्रय को नवीन प्रकरण मानकर विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा.
- (ख) निविदा सूचना तथा निबंधन एवं शर्तों का अनुमोदन, निविदा के मूल्य के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अभियंताओं द्वारा किया जायेगा. सक्षम
 प्राधिकारी द्वारा निविदा सूचना तथा निबंधन एवं शर्तों के लिए यथा अनुमोदित प्रोफार्मा पर ही निविदा आमंत्रित की जायेगी.
- (ग) प्राक्कलन का विभाजन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा किन्तु यदि प्राक्कलन का विभाजन आवश्यक हो तो ऐसे अधिकारी जो प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी है, वे ही स्वीकृति (अनुमोदन) प्रदान करने के लिए सक्षम होंगे.
- (घ) राज्य सरकार के क्रय नियमों के अनुसार क्रय किया जाएगा.
- (ङ) कोल-तार (डामर) का क्रय भंडार क्रय के नियमों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार के उपक्रमों से किया जायेगा.
- मेयर-इन-कांउसिल/प्रेसिडेंट-इन-कांउसिल की क्तिय शक्तियों तथा स्वीकृति से संबंधित समस्त विषय, निगम/परिषद् की आगामी बैठक में सूचना हतु
 रखे जाएंगे, ऐसा करने में असफल होने पर उक्त व्यय अवैध माना जावेगा.
- (छ) यदि कोई अधिकारी उसमें निहित वित्तीय शक्तियों के पचास प्रतिशत या उससे अधिक तत्स्थानी राशि व्यय करता है तो उसकी रिपोर्ट उसके उच्चतर प्राधिकारी को ऐसे व्यय किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर देगा."
 - नियम 6 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

''6 (1) निविदा समिति निम्नानुसार होगी :--

- (1) स्थानीय निकाय स्तर पर कार्यों/क्रय सामग्री के मूल्य (बजट) के अनुसार, निम्नानुसार निविदा/क्रय समिति गठित की जायेगी.
- (क) नगर पालिक निगम

5.

तालिका

	लागत राशि 150.00 लाख रु. तक		गर्छ :	ात राशि 150,00 लाख रु. से अधिव	R
1.	आयुक्त	अध्यक्ष		आयुक्त	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ कार्यपालन अभियंता	सदस्य	2.	अधीक्षण अभियंता	सदस्य
3.	सबधित शाखा प्रमुख	सचिव	3.	संबंधित शाखा प्रमुख	सचिव
ŧ. •	वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी (स्थानीय निकाय में पदस्थ अनुसार).	संदस्य	4.	उपायुक्त (वित्त/लेखा)/ लेखा शाखा प्रमुख.	संदस्य

(ख) ं नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत

अधीक्षण अभियंता

कार्यपालन अभियंता

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

2.

3.

7.

8.

		तारि	लेका		
-	लायत राशि 20.00 लाख रु. तक	लागत राशि 20.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 150.00 लाख रु. से अनधिक			
1.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अધ્યક્ષ	1.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अध्यक्ष
2.	स्थानीय निकाय का वरिष्ठ अभियता.	सदस्य	2.	कार्यपालन अभियता	सदस्य
3.	संबंधित विभाग प्रमुख	सचिव	3.	निकाय के वरिष्ठ सहा अभि./उप अभि.	सचिव
4.	लेखा शाखा प्रमुख	सदस्य	4.	लेखा शाखा प्रमुख	सदस्य
л)	लागत राशि 150 लाख रुपये से अधिक	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
•		् तारि	लेका		
•	संयुक्त संचालक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	अध्यक्ष	vi re	

(ध) यदि स्थानीय निकाय में कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता पदस्थ नहीं किया गया है, तो जिले के नगर पालिक निगम में पदस्थ कार्यपालन/ अधीक्षण अभियंता या क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ जिले के प्रभारी कार्यपालन/अधीक्षण अभियंता, निविदा समिति के सदस्य होंगे.

उपरोक्त समिति की अनुशंसा अभिप्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय निकाय इनके वित्तीय अधिकारों के अनुसार वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे.''

सदस्य

सदस्य

सचिव

 6. नियम 6 के उप-नियम (3) के स्थान पर शब्द एवं अके '50,000 रु.', ' 25,000 रु.' तथा '15,000 रु.' के स्थान पर, क्रमश: शब्द एवं अंक '1 लाख रु.', '50,000 रु.' तथा '30,000 रु.' प्रतिस्थापित किया जाए.

🦳 नियम 7 के उप-नियम (3) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

'' परन्तुक कार्य की निविदा शर्तों के अनुसार, प्रतिभूति की राशि होगी.''

नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

"8. **वर्कनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति** - नगर पालिक निगम के संबंध में वहां पदस्थ विभाग का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी, प्रत्येक निर्माण कार्य या मरम्मत के कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन करेगा तथा प्रशासनिक स्वीकृति, उसमें निहित वित्तीय शक्तियों की सीमाओं के अनुसार प्राधिकारी द्वारा प्रधान की जायेगी. तकनीकी स्वीकृति, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग दो में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसरण में, प्राक्कलन के मूल्य के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में पदस्थ अभियंताओं द्वारा प्रदान की जायेगी, जो शासकीय कार्य विभाग (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग

os Ponostalise

लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) में प्राधिकृत अनुसार, तकनीकी स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सक्षम होगे तथा जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय-समय पर नामांकित किया जायेगा."

9. नियम 8-क के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् -

'' परन्तु मेयर-इन-कौसिल या प्रेसीडेंट-इन-कौसिल, यथास्थिति, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व, नियम 8 के अन्तर्गत सक्षम पद धारण करने वाले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नामांकित अभियंता से तकनीकी स्वीकृति अभिप्राप्त करना अनिवार्य होगा.''

10. नियम 17 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् -

" 18. शिथिलीकरण - इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी खण्ड को राज्य सरकार, विशेष प्रकरण के रूप में शिथिल कर सकेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **जितेन्द्र शुक्ला,** उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 16 जून 2011

क्रमांक 4176/5170/18/2010.—भारत के संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना 4176/ 5170/18/2010 दिनांक 16-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जितेन्द्र **शुक्ला**, उप-सचिव.

Raipur, the 16th June 2011

NOTIFICATION

No. 4175/5170/18/2010.—In exercise of the powers conferred by Section 37 and Section 73 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), and Sections 70 and 110 read with Sections 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipalities (The Conduct of Business of Mayor-in-Council/President in Council and the Powers and functions of the Authorities) Rules, 1998, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For Clause (i) and (ii) of sub-rule (1) of Rule 5, the following clause shall be substituted, namely :-

"(1) In the case of Municipal Corporation -

No.	Authority	Population					
		More than Three lacs	Less than Three lacs				
(1)	(2)	(3)	(4)				
l.	Commissioner, Municipal Corporation.	Upto Rs. 50 lacs	Upto Rs. 25 lacs				
2.	Mayor-in-Council	More than Rs. 50 lacs but not more than Rs. 1.50 Crore.	More than Rs. 25 lacs but no More than Rs. 1 Crore.				
3.	Corporation	More than Rs. 1.50 Crores but not more than Rs. 5 Crores.	More than Rs. 1 Crore but no more than Rs. 3 Crores.				

TABLE

(Two) In the case of Municipalities and Nagar Panchayats -

No.,	Authority	Municipa	lity	Nagar Panchayat
	•	Population Fifty	Population less than	•
		Thousand or more	Fifty Thousand	
(I)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Chief Municipal	Upto Rs. 1 lac	Upto Rs. 50,000/-	Upto Rs. 25,000/-
	Officer.	• · ·		
2.	President in	More than Rs. 1 Lac	More than Rs. 50,000/-	More than Rs. 25,000/-
	Council.	but not more than Rs.	but not more than Rs.	but not more than Rs.
	•	30 lacs.	15 Lacs.	10 Lacs.
3.	Council	More than Rs. 30 Lacs	More than Rs. 15 Lacs	More than Rs. 10 Lacs
		but not more than Rs.	but not more than Rs.	but not more than Rs.
		2 Crore.	1.25 Crore.	75 Lacs.

2

For sub-rule (2) and (3) of Rule 5, the following sub-rule shall be substitued, Namely :-

"(2) For expenditure in excess of Rs. 5 Crores in the case of Municipal Corporations having population of more than 3 lacs, . and expenditure in excess of Rs. 3 Crores in the case of Municipal Corporations having population less than Rs. 3 lacs, prior approval of the State Government will be necessary.

Provided, however, that the financial powers of the Commissioner, Bilaspur Municipal Corporation shall be upto Rs. 50 Lacs.

(3) For expenditure in excess of Rs. 2 Crores in the case of Municipalities having population of 50,000 or more, and expenditure in excess of 1.25 Crores in the case of Municipalities having population less than 50,000, and expenditure in excess of Rs. 75 lacs in the case of Nagar Panchayats, prior approval of the State Government will be necessary."

3. Sub-rule (4) and (5) of Rule 5 shall be omitted.

For sub-rule (5-B) of Rule 5, the following shall be substitued, namely -

¹⁵-B. The procedure prescribed for procurement of building materials for public works shall be followed :-

(a) For special construction and other building works and for procurement of building and other materials, the rates approved under an earlier work/purchase will not be adopted and it will be compulsory to follow the prescribed procedure deeming the work/procurement to be a new case.

(b) The Tender Notice and Terms and Conditions must be approved, according to the value of tender, by Engineers authorized by the State Government. Tenders shall be invited only on the proforma of Tender Notice and Terms and Conditions as approved by the Competent Authority.

(c) Splitting of the estimate will not be permitted, but, if it becomes necessary to split the estimate, only the officer competent to grant administrative sanction will be competent to grant approval.

(d) Procurement shall be made in accordance with the Procurement Rules of the State Government.

(e) Coal-tar will be procured from the undertakings of Government of India, complying with the rules for procurement of stores.

398 (5)

(f) All matters relating to financial powers of mayor-in-Council/President-in-Council and sanction shall be placed for information at the following meeting of the Corporation/Council. Failure to do so shall render the expenditure illegal.

(g) If any officer expends amount corresponding to fifty percent or more of the financial power vested in him, he shall report the expenditure to his superior authority within fifteen days of such expenditure."

5. For sub-rule (1) in rule 6, the following shall be substituted, namely -

"6 (1) The Tender Committee shall be as follows : "

(1) According to the value of works/procurement, Tender/Purchase Committees shall be formed at the local body level as follows :

(a) Municipal Corporation

TABLE

Investment Amount upto Rs. 150.00 lacs			Investment Amount above Rs. 150.00 lacs			
ł	Commissioner	Chairman	· 1.	Commissioner	Chairman	
2.	Senior Executive Engineer.	Member	2.	Superintending Engineer.	Member	
3:	Section Head	Secretary	3.	Section Head concerned.	Secretary	
4	Senior Accounts Officer/Accounts Officer (as posted in the local body)	Member	4	Dy. Commissioner (Finance/Accounts)/ Head of Accounts Section.	†vlember	

(b)

Municipal Council/Nagar;Panchayat

TABLE

lnve	stment Amount upto Rs. 20.00	lacs		tment Amount above Rs. 2 ut not above Rs. 150.00 lac	
1.	-Chief Municipal +Officer.	Chairman	ι.	Chief Mûnicipal Officer.	Chairman
2.	Senior Engineer	Member	2.	Executive Engineer.	Member
3,	Section Head concerned.	Secretary	3.	Senior Asst. Engineer/Sub Engineer.	Secretary
4.	Head of Accounts Section.	Member	4.	Head of Accounts Section.	Member

(c) Investment Amount above Rs. 150 lacs

TABLE						
1.	Joint Director of Regional Office concerned	Chairman	· ·			
2.	Superintending Engineer	Member				
3.	Executive Engineer	Member				
4.	Chief Municipal Officer	Secretary				

(d)

6.

7.

If Executive Engineer/Superintending Engineer has not been posted in the local body, the Executive/ Superintending Engineer posted in the Municipal Corporation/Municipal Council in the district or the Executive/ Superintending Engineer posted in the Regional Office in charge of the district shall be member of the Tender Committee.

After obtaining recommendation of the above Committee, the local body shall, in accordance with its financial powers, submit the proposal for financial sanction."

In sub-rule (3) of Rule 6, for the words and figures 'Rs. 50,000', 'Rs. 25,000' and 'Rs. 15,000' the words and figures 'Rs. Hac', 'Rs. 50,000', and 'Rs. 30,000' respectively shall be substituted.

For Proviso of sub-rule (3) of Rule 7, the following proviso shall be substituted, namely -

"Provided that the amount of Security shall be in accordance with the terms of the tender for works."

For Rule 8 the following Rule shall be substituted, namely -

***8.** Technical and Administrative Sanction - In respect of Municipal Corporations, the senior-most technical official of the department posted there shall approve the estimate for every construction/repair work, and administrative sanction shall be granted by the authority according to the limits of financial powers vested in him. The Technical Sanction shall be granted according to the value of the estimates, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Financial Code Part II, by Engineers in the Urban Administration and Development Department who are at par with the authorities in the government works departments (Public Works Department, Water Resources Department, and Public Health Engineering Department) competent to grant technical sanctions, and who will be enlisted by the State Government from time to time."

For provision to Rule 8-A the following proviso shall be substituted, namely -

"Provided that before presenting a proposal before the Mayor-in-Council or the President-in-Council, as the case may be, technical sanction under rule 8 from the enlisted engineer of the Urban Administration and Development Department occupying the competent post will have to be obtained."

10.

9

After Rule 17 the following Rule shall be added, namely -

"18. Relaxation - The State Government may, in special cases, relax any clause contained in these rules."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.